हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्वतन्त्रता आंदोलन में योगदान

डा. ईशा शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग,
एम एम एच कॉलेज, गाजियाबाद

शोध सारांश

असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने से देश में जो प्रतिक्रिया का दौर आरम्भ हुआ, उसके दलदल में सभी फंस गए थे। बिखरे हुए क्रांतिकारी दल फिर से संगठित किए जाने लगे। उत्तर भारत में श्री शचीन्द्र नाथ सान्याल तथा बंगाल में अनुशीलन समिति, संगठन करने लगी। बनारस षडयन्त्र केस के नेता श्री शचीन्द्र नाथ सान्याल आम माफी के सिलसिले में 20 फरवरी 1920 को छोड़ दिए गए थे। अण्डमान से आने के बाद श्री सान्याल कलकत्ता में अनेक प्रमुख क्रांतिकारियों से मिले। उस समय उन्होंने उन लोगों को यही बताया था कि अब वह क्रांतिकारी राजनीति में काम नहीं करेंगे। बहुत दिनों तक वह जीविकोपार्जन की चिंता में इधर–उधर घूमते रहे।[1]

उधर अनुशीलन समिति के लोग संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी संगठन की चेष्टा कर रहे थे। पहले पहल श्री क्षेत्र सिंह ने आकर अनुशीलन समिति की ओर से बनारस में ''कल्याण आश्रम'' नाम से एक आश्रम खोला। यह आश्रम केवल दिखाने के लिए था, असल में गुप्तरूप से क्रांतिकारी कार्य हो रहा था।[2] यह सब देखकर कुछ समय इधर–उधर बिताने के पश्चात शचीन्द्र नाथ सान्याल पुनः क्रांतिकारी राजनीति में कूद पड़े। श्री सुरेश चन्द्र भट्टाचार्य से मिलकर उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को व्यापक रूप देने का विचार किया। उन्होंने बनारस में ''अनुशीलन समिति'' नामक संस्था स्थापित की। यह बंगाल की अनुशीलन समिति के अनुकरण में थी, परन्तु यह उससे अलग एक स्वतन्त्र संगठन थी।[3]

उधर बंगाल की अनुशीलन समिति ने श्री योगेश चन्द्र चैटर्जी को संयुक्त प्रांत का संगठनकर्ता बनाकर बंगाल से 1923 में बनारस भेजा। वहीं केन्द्र बनाकर उन्होंने संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी संगठन खड़ा करना शुरू किया। कुछ दिनों तक दोनों संगठन समानान्तर और प्रतिद्वन्द्वी गति से चलते रहे। अपने जेल–प्रवास के दौरान श्री शचीन्द्र नाथ सान्याल ने ''बन्दी जीवन'' शीर्षक के अन्तर्गत बंगला में क्रांतिकारी आंदोलन का वर्णन आत्मकथा के रूप में लिखा था। यह पुस्तक युवकों को क्रांतिकारी आंदोलन की ओर अग्रसर करने में प्रकाशपुंज का कार्य कर रही थी। हिन्दी और गुरूमुखी में भी इसे लिखा गया तथा इसका पर्याप्त मात्रा में वितरण किया गया। एक अधिकारी ने इस पुस्तक के विषय में कहा था कि –'It is one of the best known gems of terrorist literature'।[4] धीरे–धीरे शचीन्द्र नाथ सान्याल का दल बढ़ने लगा। कानपुर में कुछ साथी भी दल में आ गए। शचीन्द्र बाबू व योगेश चन्द्र चैटर्जी के संगठन को एक कर देने की लम्बी एकता वार्ता चलती रही।[5] गया कांग्रेस के बाद शाहजहांपुर से राम प्रसाद बिस्मिल, मथुरा से शिव चरन लाल, काशी से राजेन्द्र लाहिड़ी, आगे चलकर झांसी से शचीन्द्र नाथ बख्शी कानपुर आकर दल की बैठकें करने लगे। जब मन्मथनाथ गुप्त, योगेश चन्द्र चैटर्जी और सरदार भगत सिंह कानपुर आए, तब यह नगर संयुक्त प्रांतीय क्रांतिकारी दल का केन्द्र स्थान बन गया।[6] अन्त में दोनों संगठन एक हो गए और उसका नाम ''हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन'' रखा गया। इस एकता की स्थापना करने में प्रमुख क्रांतिकारी त्रैलोक्य नाथ चक्रवर्ती तथा रमेश आचार्य आदि नेताओं का हाथ था।[7] संयुक्त प्रांत का इंचार्ज योगेश चन्द्र चैटर्जी को बनाया गया और पूरे संगठन के सर्वोपरि इंचार्ज शचीन्द्र नाथ सान्याल रहे। श्री मल्लिकार्जुन शर्मा अपनी पुस्तक 'रोल ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन दि फ्रीडम मूवमेंट'' में श्री मन्मथनाथ गुप्त से लिए गए साक्षात्कार को उद्धृत करते हुए लिखा है कि हिप्रस की स्थापना–सभा पूर्व बंगाल के टिपरा जिले के ग्राम भोलाचंग(Bholachang) नामक स्थान पर,

प्रतुल गांगुली, नरेन्द्र मोहन सेन, शचीन्द्र नाथ सान्याल और सम्भवतया योगेश चन्द्र चैटर्जी की उपस्थिति में हुई थी। ''हिप्रस'' प्रथम ऐसा क्रांतिकारी संगठन था जिसने अपने लिए एक लिखित संविधान बनाने का निश्चय किया।

इस संस्था के विधान–निर्माण की प्रथम कल्पना और संस्था की प्रथम बैठक कानपुर में ही हुई। इसका विधान पत्र पीले कागज पर छपा था। इसलिए क्रांतिकारियों में यह ''येलो पेपर'' के नाम से परिचित था।[8] छः पीले कागजों पर छपे इस विधान पर किसी मुद्रक का चिन्ह नहीं था।[9] यह 1924 के अन्त में श्री शचीन्द्र नाथ सान्याल द्वारा तैयार किया गया था। संविधान में कहा गया कि इस एसोसिएशन का उद्देश्य एक सुनियोजित सशस्त्र क्रांति के द्वारा ''फेडरल रिपब्लिकन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इण्डिया'' की स्थापना करना था।[10] इसमें कहा गया ''रिपब्लिक का मूलभूत सिद्धांत होगा सार्वभौम मताधिकार तथा ऐसी समस्त व्यवस्थाओं का उन्मूलन जिनके अन्तर्गत मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण को प्रश्रय मिलता हो।''

संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक प्रांत के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित ''सेण्ट्रल काउंसिल'' बनाई गई जो एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी थी। प्रांतों में संगठन बनाए जाने थे। प्रत्येक प्रांतीय संगठन में निम्नलिखित विभाग होने निश्चित किए गए–

1.प्रचार,
2.आदमियों को एकत्र करना,
3.धन एकत्र करना,
4.अस्त्र शस्त्र एकत्र करना और उनका भण्डारण करना एवं
5.वैदेशिक संबंध।

प्रान्तीय संगठन के नीचे जिले का संगठन बनाया गया। कहा गया कि ''जिला संगठनकर्ता अपने जिले के प्रत्येक भाग में एसोसिएशन की शाखाएं स्थापित करने का प्रयत्न करेगा।[11]

एसोसिएशन का समस्त क्रियाकलाप दो भागों में विभाजित किया गया– पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक क्रियाकलाप में – क्लबों, पुस्तकालयों, सेवा समितियों आदि के रूप में संस्थाओं को आरम्भ करना, मजदूरों और किसानों का संगठन बनाना.....उनके मन में यह भावना उत्पन्न करना कि वे क्रांति के लिए नहीं बल्कि क्रांति उनके लिए है, प्रत्येक प्रांत में प्रचार हेतु एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करना तथा जहां तक सम्भव हो सके कांग्रेस के तथा जनता के अन्य कार्यक्रमों का उपयोग करना और प्रभावित करना, शामिल थे।[12]

इन कार्यक्रमों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इसके प्रकट कार्य नौजवान भारत सभा के कार्यों से साम्य रखते हैं। एसोसिएशन के गुप्तकार्य थे –''एक गुप्त प्रेस की स्थापना करना और जिसके द्वारा ऐसे साहित्य को प्रकाशित करना जो खुले रूप में प्रकाशित नहीं किया जा सकता, इस गुप्त साहित्य को वितरित करना, उपयुक्त व्यक्तियों को फौजी व वैज्ञानिक प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजना, शस्त्रों व युद्ध सामग्री का आयात करना, एसोसिएशन के सदस्यों को वर्तमान सेना में दाखिल करना तथा दल से सहानुभूति रखने वालों का एक दल तैयार करना।[13]

सदस्य की भर्ती करते समय सतर्कता बरती जाती थी। भर्ती से पूर्व सदस्य को देशभक्ति व क्रांतिकारी विचारों की परख हेतु उसे क्रांतिकारी साहित्य पढ़ने को दिया जाता था, जैसे –शचीन्द्र नाथ सान्याल की **''बन्दी जीवन'', ''मैजिनी और गैरीबाल्डी के जीवन वृतान्त''**, सावरकर कृत **''प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास''** तथा **''रौलेट एक्ट''** आदि।

इस दल के अधिवेशन बनारस, कानपुर तथा मेरठ आदि में हुआ करते थे। शचीन्द्र नाथ सान्याल के इस दल ने काफी उन्नति की। 1924 में श्री सान्याल कलकत्ता गुप्त–वास हेतु चले गए तथा संगठन का कार्य श्री योगेश चंद्र चैटर्जी पर छोड़ दिया।[14] योगेश चंद्र चैटर्जी क्रांतिकारी दल में सदस्यों की भर्ती करने हेतु कुछ माह बंगाल में रहे, फिर इलाहाबाद, कानपुर व संयुक्त प्रांत के अन्य जिलों में अपना संगठन बढ़ाया। शाहजहाँपुर के पं0 राम प्रसाद बिस्मिल फिर से क्रांतिकारी दल के संगठन के विषय में सोच रहे थे। श्री चैटर्जी से मिलने के पश्चात् वे इस बृहत् दल में शामिल हो गए। पं0 राम प्रसाद बिस्मिल ने इनका परिचय अशफाक उल्ला खां और रौशन सिंह से कराया।[15] इस प्रकार एक बार पुनः युद्धोत्तर भारत में क्रांतिकारी कार्य धड़ल्ले से चलने लगा था। सभी बिखरी कड़ियों को जोड़ बटोर कर कार्यकारी एकता के साथ काम करने का प्रयास होने लगा था।

हिप्रस के घोषणा पत्र में कहा गया था कि ''यह क्रांतिकारी पार्टी इन अर्थों में राष्ट्रीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय है कि इसका अन्तिम उद्देश्य विश्व में मेल एवं सामन्जस्य स्थापित करना है''..... और इन अर्थों में वह भारत के उज्ज्वल अतीत के महान् ऋषियों एवं आज के बोल्शेविक रूस का अनुसरण करेगी।[16] स्वतंत्र भारत की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी घोषणा पत्र में उस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। इन सभी मुद्दों पर घोषणा पत्र अपने से पहले के क्रांतिकारियों से अलग हटकर चलता है या चलने का प्रयास करता है।

लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि घोषणा पत्र के लेखक ने मार्क्सवाद या उसके वैज्ञानिक समाजवाद के सारतत्व को आत्मसात कर लिया था। उसका झुकाव खासतौर पर ईश्वर और रहस्यवाद की ओर है। घोषणा पत्र में कहा गया – ''विश्व न माया है न भ्रम कि उसकी तरफ के आंख बन्द कर ली जाए और उसकी उपेक्षा की जाए। वह एक अविभाज्य आत्मा का प्रकट स्वरूप है। आत्मा जो शक्ति, ज्ञान और सौन्दर्य का सर्वोच्च उद्गम है।[17] लेखक मार्क्सवाद के आर्थिक पक्ष को स्वीकार करता है, जो पहले के क्रांतिकारियों के मुकाबले निश्चय ही एक आगे बढ़ा हुआ कदम है। लेकिन जहाँ तक मार्क्सवाद के दार्शनिक पक्ष का सवाल है लेखक भौतिकवाद को न मानकर भगवान और धैर्य पर अडिग रहता है।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर उनका कम्युनिज्म से मतभेद था वह थी सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व की अवधारणा। उनका यह मत था कि ''सिर्फ मध्यम वर्ग के नौजवान ही नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, जबकि मजदूर और किसान क्रांतिकारी सेना के सिपाही का काम करेंगे।

क्रांतिकारियों को अराजकतावादी और आतंकवादी कहा जाता रहा है। घोषणा पत्र में इस धारणा का जोरदार खण्डन किया गया है। क्रांति के प्रसंग में इन शब्दों का प्रयोग बार–बार इसलिए होता है कि इन शब्दों के व्यवहार से क्रांतिकारियों की निन्दा करने में सुविधा होती है। **''भारतीय क्रांतिकारी न तो आतंकवादी है न अराजकतावादी।''** उनका यह लक्ष्य कभी नहीं है कि देश में अराजकता फैलाएँ। विदेशियों ने भारतीय जनता को आतंकित कर रखा है। इस सरकारी आतंक का मुकाबला करना जरूरी है। क्रांतिकारी प्रदर्शनों और आतंक द्वारा उनका मुकाबला किया जा सकता है। ''लेकिन उस हालात में भी पार्टी यह कभी न भूलेगी कि आतंकवाद उसका उद्देश्य नहीं है, वह निःस्वार्थ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का दल संगठित करने का निरंतर प्रयत्न करेगी जो देश की राजनीतिक और सामाजिक मुक्ति के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे।[18]

मद्रास से कलकत्ता लौटते हुए कलकत्ता के हावड़ा पुल पर योगेश चन्द्र चैटर्जी गिरफ्तार कर लिए गए। योगेश चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद प्रांत के संगठन का भार राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी पर आ पड़ा था। एक्शन विभाग की जिम्मेदारी पं0 राम प्रसाद बिस्मिल ने संभाली। बिस्मिल एक अच्छे निशानेबाज थे। वे एक पुराने क्रांतिकारी थे तथा मैनपुरी षड्यन्त्र केस के फरार थे। शनैः शनैः दल का सैनिक विभाग अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया तथा राम प्रसाद बिस्मिल दल के सर्वप्रमुख व्यक्ति हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने विभिन्न स्त्रोतों से हथियार एवं युद्ध सामग्री एकत्र करने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने भारतीय रियासतों से, विशेषकर ग्वालियर से हथियार प्राप्त किए।[19]

हथियार व युद्ध सामग्री के अतिरिक्त दल को प्रचार तथा अन्य संगठन के कार्यों हेतु धन की भी अत्यन्त आवश्यकता थी। दल के कुछ सदस्य अपने अनुरक्षण हेतु पार्टी पर निर्भर करते थे। पुस्तकें खरीदने तथा पैम्फलेट आदि छपवाने में भी दल का काफी धन खर्च होता था। दल के कुछ सदस्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन देते थे लेकिन उनमें अधिकांश विद्यार्थी थे। कुछ धन दल से सहानुभूति रखने वालों से भी प्राप्त होता था लेकिन उनकी संख्या कम थी। अतः धन संग्रह हेतु अनेक उपाय किए गए।

अब ''हिप्रस'' के सदस्यों ने दल का व्यय वहन करने हेतु गांवों में डकैती डालने की योजना बनाई। उनका विचार था कि यह तरीका क्रांतिकारी सिद्धांतों तथा परम्पराओं के पूर्ण अनुरूप है।[20] पार्टी ने गाँवों में कई डकैतियां डालीं, इनमें पं0 राम प्रसाद बिस्मिल नेता थे।[21]

इन गांवों की डकैतियों को यदि रूपए की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी इसमें विशेष सफलता नहीं मिली। काफी बहस के बाद हिप्रस की प्रान्तीय कमेटी ने निश्चित किया कि गांव की डकैतियों को बन्द कर दिया जाए तथा बैंक व अन्य सरकारी सम्पत्ति को ही लूटा जाए।[22] अधिकांश क्रांतिकारियों ने इस नई नीति को पसन्द किया। उस समय एक जहाज पर गुप्त रूप से बड़े परिमाण में कुछ अस्त्र शस्त्र आए थे। उनको मोल लेने के लिए कई सहस्त्र रूपयों की आवश्यकता थी। कई योजनाएं बनाई गईं कि किस प्रकार सरकारी खजाने को लूटने के लिए ट्रेन डकैती की जाए।

काकोरी लखनऊ जिले में एक छोटा सा गांव है। काकोरी स्टेशन ईस्ट इंडिया रेलवे की सहारनपुर – मुगलसराय लाइन पर तीसरा स्टेशन है। एक विस्तृत योजना बना लेने के बाद पं0 राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी के निकट रेलगाड़ी को लूट लिया गया।[23] इस डकैती में विभिन्न केन्द्रों के दस सदस्यों ने भाग लिया था। योजनानुसार उनमें से तीन अशफाक उल्ला खां, राजेन्द्र लाहिड़ी और शचीन्द्र नाथ बक्शी सेकेण्ड क्लास के डिब्बे में सवार हो गए। बाकी सात अर्थात् पं. राम प्रसाद बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुन्दी लाल, चन्द्रशेखर आजाद, बनवारी लाल और मन्मथनाथ गुप्त पूरी ट्रेन में बंटकर सवार हुए। जैसे ही रेल लगभग सवा सात बजे सायं, काकोरी स्टेशन से आगे लखनऊ की ओर एक मील पहुँची, सेकेण्ड क्लास में बैठे क्रांतिकारियों ने जंजीर खींच कर गाड़ी रोक ली।[24] अन्य क्रांतिकारी भी दूसरे डिब्बों से बाहर आ गए। उन्होंने गार्ड को पिस्तौल दिखाकर जमीन पर औंधे मुंह लिटा दिया तथा खजाने वाले संदूक को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। गाड़ी के दोनों ओर दो साथी खड़े कर दिए, उनके हाथ में एक सहस्त्र गज तक मार करने वाली माउजर पिस्तौलें थीं। क्रांतिकारी हिन्दुस्तानी में जोर–जोर से चिल्लाकर कह रहे थे कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाने का नहीं, वे तो सिर्फ सरकारी सम्पत्ति के पीछे हैं।[25] अशफाक उल्लाह खां, जो क्रांतिकारियों में सर्वाधिक बलिष्ठ थे (संभवतया ''बिस्मिल'' के अतिरिक्त) ने घन की मदद से लोहे के संदूक को तोड़ डाला। उसमें से रूपयों के थैले बाहर निकाल लिए गए तथा ये सभी क्रांतिकारी लूटे गए धन के साथ, जो संभवतया 10 हजार था, वहाँ से गायब हो गए।

ये क्रांतिकारी रात के अंधकार का लाभ उठाते हुए लखनऊ पहुँच गए। रात्रि लखनऊ में बिताने के पश्चात प्रातः ये लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए। काकोरी ट्रेन–डकैती भारत में एक असाधारण घटना थी।[26] इसने जनता में तथा प्रेस में एक उत्तेजना उत्पन्न कर दी। लखनऊ के **''दि इंडियन डेली टेलीग्राफ''** और लाहौर के **''दि ट्रिब्यून''** ने इस डकैती के विषय में उत्तेजनापूर्ण कहानियाँ प्रकाशित कीं। इस घटना के संबंध में जानकरी देने वाले को सरकार ने 5 हजार का इनाम देने की घोषणा की। इस घोषणा को रेलवे स्टेशनों व पुलिस स्टेशनों के बाहर लगा दिया गया। इस संबंध में 26 सितंबर 1925 को संपूर्ण यू.पी. में तथा बाहर गिरफ्तारियां की गईं। गोविन्द चरण कार लखनऊ में गिरफ्तार कर लिए गए। उनके पास से **''पीला पर्चा''** बरामद हुआ। मन्मथनाथ गुप्त बनारस से गिरफ्तार किए गए। उनके घर की तलाशी में **''दि रिवोल्यूशनरी''** का एक टाईप किया हुआ उद्धरण प्राप्त हुआ। पं. राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से पकड़े गए लेकिन अशफाक उल्ला खां उस समय पुलिस को धोखा देकर निकल गए तथा पकड़े नहीं जा सके। श्री राजेन्द्र लाहिड़ी बंगाल में थे। वह वहीं कलकत्ते के पास दक्षिणेश्वर नामक स्थान में एक बम के कारखाने में गिरफ्तार कर लिए गए। चन्द्रशेखर आजाद को पुलिस कभी

गिरफ्तार नहीं कर सकी। बाद में अशफाक उल्ला खां भी दिल्ली में गिरफ्तार कर लिए गए। इस संबंध में पुलिस ने लगभग 40 गिरफ्तारियाँ कीं।

अभियुक्तियों के बचाव हेतु एक बचाव समिति गठित की गई जिसमें कांग्रेस के कई प्रमुख नेता थे, जैसे– पं. मोती लाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविन्द वल्लभ पंत, मोहन लाल सक्सेना आदि। इस बचाव समिति ने अभियुक्तों के बचाव हेतु चन्दा एकत्रित किया। इन अभियुक्तों पर सम्राट के विरूद्ध युद्ध घोषणा करने, राजनैतिक षडयंत्र, हत्या और डकैती की दफाएँ लगाई गईं।[27] लेकिन इन लोगों के साथ राजनैतिक बन्दियों के समान व्यवहार नहीं किया गया। उन्हें अच्छे किस्म का भोजन नहीं दिया जाता था। अतः इन्होंने लखनऊ जेल में अनशन कर दिया कि उन्हें राजनैतिक कैदियों के समान सुविधाएँ दी जाएं। आखिर 16वें दिन के अनशन के बाद सरकार ने प्रति व्यक्ति दस आना दैनिक देना स्वीकार कर लिया।

18 महीने की कार्यवाही के बाद मुख्य काकोरी षडयन्त्र केस के मुकदमे का फैसला 6 अगस्त 1927 को सुनाया गया। पं. राम प्रसान बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। इसके अतिरिक्त जो पूरक मुकदमा चला उसमें अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई। श्री शचीन्द्र नाथ सान्याल को काले पानी की सजा हुई तथा अन्य क्रांतिकारियों को भी लम्बी–लम्बी सजाएं हुई।

फांसियों को रोकने के विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रयास हुए परन्तु अंततः फांसियां होकर रहीं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में 19 दिसम्बर 1927 को फांसी हुई। जब फांसी के तख्ते पर ले जाने वाले आए तो वह **''वन्दे मातरम्''** और **''भारत माता की जय''** कहते हुए तुरंत उठकर चल दिए। चलते समय उन्होंने यह कहा–

''मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे,
बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे।
जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे,
तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे।।[28]

श्री राजेन्द्र प्रसाद लाहिड़ी को अन्य साथियों से दो दिन पूर्व 17 दिसम्बर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई थी। श्री अशफाक उल्ला खां को 19 दिसम्बर 1927 को फैजाबाद जेल में तथा रोशन सिंह को मलाका जेल इलाहाबाद में उसी दिन फांसी दे दी गई।

काकोरी केस से संबंधित फांसियों ने देश में जोश पैदा कर दिया। बनारस से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र **''आज''** ने इन फांसियों के सम्बन्ध में दुख प्रकट किया। इलाहाबाद से प्रकाशित **''चांद''** ने अपने **''फांसी अंक''** में इन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने भी एक विशेष प्रस्ताव इन शहीदों के बारे में पारित किया जिसमें सरकार की निर्दयतापूर्ण नीति तथा जनता के रोष के बावजूद इन फांसियों को परिवर्तित न करने की निन्दा की। कांग्रेस ने इन शहीदों के परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति भी प्रकट की।[29]

लेकिन उस समय तीसरे दशक के उत्तरार्ध में भारतवर्ष में कम्युनिस्ट विचारधारा जनप्रिय हो रही थी। इसके पीछे पेशावर और कानपुर षडयन्त्र केस, किसानों के जुझारू संघर्ष, मजदूरों की देशव्यापी हड़तालें, मजदूर किसान पार्टी का गठन तथा देश के विभिन्न कम्युनिस्ट ग्रुपों को मिलाकर एक अखिल भारतीय पार्टी के गठन का प्रयास शामिल था।[30]

उस समय पंजाब में भी क्रांति की लहर उमड़ पड़ी। वहां भी बब्बर अकाली आंदोलन का जन्म हुआ। यह एक किसान आंदोलन था। इसके नेता किशन सिंह गड़गज्ज नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने ''बब्बर अकाली'' नाम से एक अखबार भी निकाला। धीरे–धीरे बम, तमंचा, बंदूक आदि का संग्रह होने से चारों तरफ दल की शाखाएं खुल गईं। इनकी योजना थी कि सेनाओं को भड़का कर गदर किया जाए। इन

लोगों ने व्याख्यानों के माध्यम से देशभक्ति की भावनाएं जागृत कीं। ये लोग बड़े वीर तथा देशभक्त थे लेकिन पुलिस इनके पीछे बुरी तरह से पड़ गई थी। यद्यपि वे मुखबिरों को मार देते थे किन्तु स्वयं उनके संबंधी भी उनसे धोखा करके उनको पुलिस के हाथ में देने लगे। अतः इसी विश्वासघात से अनेक बब्बर अकाली पुलिस के हाथ आ गए।[31] उन पर राजद्रोह का जुर्म लगाया गया। इसके 91 अभियुक्तों में से पांच को फांसी की सजा हुई, 12 को कालापानी, 28 को तीन माह से लेकर सात वर्ष तक की सजा हुई और तीन व्यक्ति जेल में ही मर गए।[32]

पूर्वी बिहार में भी एक षडयन्त्र हुआ जो देवघर षडयन्त्र कहलाता है। इसे काकोरी का ही एक शाखा षडयन्त्र बताया गया है।[33] इसके कई प्रमुख अभियुक्त उत्तर प्रदेश के रहनेवाले थे। इलाहाबाद में इसी षडयन्त्र के संबंध में श्री शैलेन्द्र चक्रवर्ती पकड़े गए, वे हिप्रस के सदस्य थे। इनके पास हथियार तथा हिन्दुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन की नियमावली मिली थी। 11जुलाई 1928 को इस मुकदमे का फैसला हुआ। इस फैसले में कहा गया कि अभियुक्तों ने सरकार पलट देने तथा देश में सशस्त्र क्रांति का षडयन्त्र किया, इसमें सबसे अधिक सजा शैलेन्द्र चक्रवर्ती को ही हुई।[34]

इस प्रकार 'हिप्रस' के प्रयासों से हुई काकोरी ट्रेन डकैती की घटना ने उत्तर भारत में क्रांति की ज्वाला को और अधिक प्रज्ज्वलित कर दिया। रूस की क्रांति के फलस्वरूप भारत के युवक राजनीतिक दृष्टि से सजग हो चुके थे। मजदूरों के आंदोलन भी उग्र होने लगे। पुलिस की रिर्पोट्स स्वीकार करती हैं कि उनकी सारी कड़ाई के बावजूद कम्युनिस्टों का असर बढ़ता जा रहा था। इसी समय पंजाब में भी क्रांति की लहर उमड़ पड़ी। वहां भी बब्बर अकाली आंदोलन का जन्म हुआ, यह एक किसान आंदोलन था। पूर्वी बिहार में भी एक षडयन्त्र हुआ जो देवघर षडयन्त्र कहलाता है। इसके अतिरिक्त काशी के मणीन्द्र नाथ बैनर्जी ने काकोरी के अभ्युक्तों को फांसी दिलाने के जिम्मेदार डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट बैनर्जी को 13 जनवरी 1928 को मारने का प्रयास किया। जिस समय मणीन्द्र नाथ ने गोली मारी थी, उन्होंने कहा–''लो, राजेन्द्र लाहिड़ी को फांसी पर चढ़ाने का पुरस्कार''। इस अपराध के लिए मणीन्द्र नाथ बैनर्जी को 10 वर्ष की सजा हुई और वह फतेहगढ़ सैंट्रल जेल में 20 जून 1934 के दिन एक अनशन के फलस्वरूप शहीद हो गए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि **हिन्दुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन** ने देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना इस हद तक जागृत कर दी थी कि वे स्वतन्त्र रूप से कार्य करने लगे थे। काकोरी की फांसियों ने तो आग में घी का काम कर दिखाया और फरार क्रांतिकारियों ने पुनः सूत्र एकत्रित कर संगठन बनाने के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिए।

संदर्भ सूची

1.झारखण्डे राय–भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन–एक विश्लेषण, पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1981,पृ.20
2.मन्मथनाथ गुप्त– भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास–दिल्ली, 1986, पृ.198
3.झारखण्डे राय–पूर्वोक्त, पृ.20 एवं रिपोर्ट ''टेरेरिज्म इन इण्डिया''1917–1936, दीप प्रकाशन, दिल्ली द्वारा पुनः प्रकाशित1974,पृ.69
3.रिपोर्ट ''टेरेरिज्म इन इंडिया''–1917–36, गृहविभाग, भारत सरकार, सीरियल नं. बी.38/3
5.चन्द्रशेखर शास्त्री– आतंकवाद का इतिहास, कानपुर,1938,पृ.310
6.श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा व लक्ष्मीकांत त्रिपाठी (संपादक) – कानपुर के विद्रोही, कानपुर,1948,पृ.113
7.झारखण्डे राय–पूर्वोक्त,पृ.20, चन्द्रशेखर शास्त्री–पृ.310
8.श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा व लक्ष्मीकांत त्रिपाठी (संपादक)–पूर्वोक्त,पृ.114
9.प्रोसीडिंग्स, काकोरी षडयन्त्र केस, अपील, 1927,पृ.37
10.हिप्रस का संविधान–शिव वर्मा लिखित ''शहीद भगत सिंह की चुनी हुई कृतियां'' से उद्धृत, पृ.234
11. हिप्रस का संविधान– पूर्वोक्त, पृ.236

12. वही
13. हिप्रस का संविधान – पूर्वोक्त, पृ. 238/239
14. रिपोर्ट–''टेरेरिज्म इन इण्डिया'' – पूर्वोक्त, प. 69
15. मन्मथनाथ गुप्त – पूर्वोक्त, पृ. 200
16. शिव वर्मा – शहीद भगत सिंह की चुनी हुई कृतियां
17. वही–पृ. 44
18. शिव वर्मा – शहीद भगत सिंह की चुनी हुई कृतियां, पृ. 232
19. विश्वनाथ वैशम्पायन–''अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद'',वाल्यूम 2,वाराणसी,1967,पृ. 160
20. एच0डब्लू0 हेल, ''पोलिटिकल ट्रबल इन इंडिया'' 1917–37, इलाहाबाद 1974, पृ. 9
21. रिपोर्ट ''टेरेरिज्म इन इंडिया'' – पूर्वोक्त, पृ. 70
22. रिपोर्ट ''टेरेरिज्म इन इंडिया'' – पूर्वोक्त, पृ. 71
23. प्रोसिडिंग्ज, काकोरी षडयन्त्र केस, अपील, पृ. 5
24. दि ट्रिब्यून – लाहौर, 12 अगस्त 1925
25. प्रोसिडिंग्ज, काकोरी षडयन्त्र केस, अपील, पृ. 5 एवं चांद (फांसी अंक) इलाहाबाद, नवम्बर 1928
26. प्रोसिडिंग्ज, काकोरी षडयन्त्र केस, अपील, पृ. 5
27. प्रोसिडिंग्ज, काकोरी षडयन्त्र केस, अपील,
28. मन्मथनाथ गुप्त – पूर्वोक्त, पृ. 214
29. पट्टाभि सीतारमैया– दि हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, 1935, पृ.540
30. शिव वर्मा– शहीद भगत सिंह की चुनी हुई कृतियां, पृ. 46–47
31. चन्द्रशेखर शास्त्री–पूर्वोक्त–पृ.305 एवं मन्मथनाथ गुप्त– भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास–पृ.218/220
32. मन्मथनाथ गुप्त – पूर्वोक्त, पृ. 220
33. वही
34. मन्मथनाथ गुप्त – पूर्वोक्त, पृ. 220